दिनांक 21.07.2018 को उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की सम्पन्न हुई "विद्या परिषद्" की अष्टम बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 21 जुलाई, 2018 को मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के नवीन परिसर में विश्वविद्यालय की अष्टम बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्नांकित मा0 सदस्यगण एवं अन्य आमंत्रित विशेषज्ञ उपस्थित थे:-

क्रम	नाम	पदनाम
01	डॉ0 यू0एस0 रावत, कुलपति, उ0त0वि0वि0, देहरादून।	अध्यक्ष
02	डॉ0 आर0सी0 पाण्डेय, प्राचार्य, जी0आई0एच0एम0, देहरादून।	सदस्य
03	प्रो0 बी0के0 सिंह, निदेशक, एस0आई0टी0, पिथोरागढ़।	सदस्य
04	प्रो0 बी0एस0 बिष्ट, पूर्व कुलपति, पंतनगर विश्वविद्यालय।	सदस्य
05	प्रो0 एम0पी0एस0 चोहान, जी0बी0पी0ई0सी0, पौड़ी, गढ़वाल।	सदस्य
06	प्रो0 डी0पी0 गुप्ता, निदेशक, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजी0, देहरादून	सदस्य
07	डॉ0 रूपेन्द्र तिवारी, कॉर्डिनेटर, डी0एस0टी0 ।	विशेष आमंत्रित सदस्य
08	श्री अशोक विंडलास, सी0एम0डी0, विंडलास बायोटेक, देहरादून।	विशेष आमंत्रित सदस्य
09	एस0एल0 सोनी, निदेशक, एन0आई0टी0, श्रीनगर, गढ़वाल।	विशेष आमंत्रित सदस्य
10	श्री जयपाल सिंह तोमर, वित्त नियंत्रक, उ0त0वि0वि0, देहरादून।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11	डॉ0 कुवर सिंह वैसला, परीक्षा नियंत्रक, उ0त0वि0वि0, देहरादून।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12	डॉ0 अनिता रावत, कुलसचिव, उ0त0वि0वि0, देहरादून।	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम बैठक प्रारम्भ करने से पूर्व मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय द्वारा विद्या परिषद् के नामित सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षिक, प्रशासनिक गतिविधियों इत्यादि पर विस्तार से बताया गया तथा पूर्व में आने वाली समस्याओं, उनके निदान एवं भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। तदोपरान्त कुलसचिव/सदस्य सचिव द्वारा सदन के पटल पर मा0 सदस्यों के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु संख्या:-01 विद्या परिषद् की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना।

विनिश्चय:- विद्या परिषद् की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया तत्पश्चात् विद्या परिषद की सम्पन्न हुई सप्तम बैठक में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना से मा0 सदस्यों को निम्नानुसार अवगत कराया गया (सलंग्नक-1)।

विश्वविद्यालय की अष्टम बैठक में विद्या परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये गये एजेंडा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त परिषद् के सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय/अनुमोदन/सुझाव।

ऐजेंडा बिन्दु	संस्तुति/अनुमोदन	सुझाव
बिंदु संख्या:- 02 विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19 हेतु तैयार किया गया एकेडमिक कैलेंडर विद्या परिषद के मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ **(संलग्नक-02)** ।	**विनिश्चय:-** बैठक में विद्या परषिद के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर शैक्षिक सत्र 2018-19 के एकेडमिक कैलेंडर हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	बैठक में शैक्षिक परिषद के सदस्यों द्वारा 2018-19 के एकेडमिक कैलेंडर को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने का सुझाव दिया गया।

बिंदु संख्या:– 03 विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रमों के Syllabus में AICTE के Modle Curriculum के अनुसार BOS की बैठक आयोजित की गयी उक्त बैठक में विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के Syllabus में AICTE के Modle Curriculum के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018–19 हेतु संशोधन (Revision) किया गया है। संशोधित Syllabus वर्तमान शैक्षिक सत्र 2018–19 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों यथा एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बी0एच0एम0सी0टी0, बी0फार्मा0, एम0फार्मा ,एल0एल0बी0 तथा एम0टेक0 पाठ्यक्रमों के Syllabus में परिवर्तन किये गये है। मा0 परिषद् के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत **(संलग्नक-03)**।	**विनिश्चय:–** बैठक में विद्या परषिद् के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिन्दु पर विस्तृत चर्चा कर ए0आई0सी0टी0ई0 के न्यू मॉडल पाठ्यक्रम **(New Modle Curriculum)** को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित तकनीकी व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2018–19 से लागू किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	परिषद् के सदस्यों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम की जांच **(Monitoring)** हेतु एक समिति गठित किये जाने का सुझाव विश्वविद्यालय को दिया गया।
बिंदु संख्या:– 04 विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न Specializations में संचालित किये जा रहे पी0एच0डी0 पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुधार हेतु यू0जी0सी0 के मानकानुसार पी0एच0डी0 अर्डिनेंस संशोधित किये जाने के संबंध में मा0 कुलपति द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अपनी द्वितीय बैठक दिनांक 26–02–2018 को बैठक आयोजित कर पी0एच0डी0 अर्डिनेंश 2018 में संशोधन किया गया। मा0 समिति के अवलोकनार्थ /अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **(संलग्नक-04)**	**विनिश्चय:–** परिषद् के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिन्दु पर विस्तृत चर्चा कर भारतीय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) के मानकों को दृष्टिगत रखते हुए पी0एच0डी0 अर्डिनेंस संशोधित किये जाने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।	————————
बिंदु संख्या:– 05 विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में पंजीकृत शोधार्थियों के अधिकतम शोध कार्यावधि के समाप्त होने के उपरांत शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन। **(सूची संलग्नक-05)**	**विनिश्चय:–** परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर सम्बन्धित बिन्दु को Special Case के रूप में रखते हुए शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दिये जाने के सम्बन्ध में मेरिट के आधार पर Case to Case निर्णय दिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया। यह व्यवस्था मात्र बैठक में रखे गये पी0एच0डी0 शोधार्थियों के प्रकरणों पर ही लागू होगी।	**Case to Case** निर्णय दिये जाने पर परिषद् के सदस्यों द्वारा निम्न सुझाव दिये गये:– 1. जिन शोधार्थियों द्वारा 8 से 10 आर0डी0सी0 Attend की गयी है उन्हें शोध कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाय। 2. जिन शोधार्थियों द्वारा 8 से कम आर0डी0सी0 Attend की गयी है उन्हें शोध कार्य पूर्ण करने हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाय।

बिंदु संख्या:— 06 वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में Ph.D डिग्री पूर्ण कर चुके शोधार्थियों को मूल Ph.D डिग्री प्रदान किय जाने हेतु सूची संलग्न की गयी है। उक्त पर चर्चा एवं अनुमोदन। **(सूची संलग्नक-06)**	**विनिश्चय:—** बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिन्दु पर विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन प्रदान किया गया।	————
बिंदु संख्या:— 07 उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून से सम्बद्ध विधि संस्थानों में संचालित विधि पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण किये जाने हेतु दिनांक 08 मार्च 2018 को एक बैठक आहूत की गयी। समिति द्वारा विधि पाठ्यक्रमों का शुल्क निर्धारण किया गया। विद्या परिषद के मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ। **(संलग्नक-07)**	**विनिश्चय:—** विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिन्दु पर विस्तृत चर्चा कर राज्य सरकार द्वारा शुल्क निर्धारण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पॉलसी जारी होने तक विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में निर्धारित शुल्क को लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।	————
बिंदु संख्या:— 08 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एम0आई0टी0इ0 कुमांउ नैनीताल संस्थान में संचालित किये जाने हेतु **B.VOC, 03 Years (Automobile Manufacturing Technology)** का नवीन पाठ्यक्रम Syllabus अनुमोदन किये जाने व ए0आई0सी0टी0ई0 की वेबसाईट पर प्रदर्शित Vocational Course को ही अनुमोदन प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में मा0 सदस्यों में चार्चा एवं अनुमोदन। **(संलग्नक-08)**	**विनिश्चय:—** शैक्षिक परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर **B.VOC** के नवीन पाठ्यक्रम हेतु इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि:— 1. सम्बन्धित कोर्स की सम्बद्धता हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों अनुसार पैनल गठित किया जायेगा। 2.सम्बन्धित कोर्स संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित मानक पूरे किये जायेंगे।	————
बिंदु संख्या:— 09 उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कतिपय व्यवसायिक संस्थानों में संचालित BHMCT-BHM 03 वर्षीय पाठ्यक्रम की अवधि को 04 वर्षीय किये जाने हेतु मा0 समिति के संज्ञानार्थ एवं अनुमोदनार्थ। **(संलग्नक-09)**	**विनिश्चय:—** परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर BHMCT-BHM पाठ्यक्रम की अवधि 04 वर्षीय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	————
बिंदु संख्या:— 10 उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के वाहन संख्या—UK-07N-3707 को निष्प्रयोज्य किये जाने पर पूर्व कुलपति जी द्वारा उक्त वाहन को यू0टी0यू0 के यू0जी0/पी0जी0 छात्रों के लिए Practical demo के उपयोगार्थ रखा जाना उचित होगा। उक्त सन्दर्भ में मा0 सदस्यों में चर्चा एवं अनुमोदन। **(संलग्नक-10)**	**विनिश्चय:—** विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिन्दु पर विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन प्रदान किया गया।	————

बिंदु संख्या:— 11 उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में दिनांक 27—03—2017 को पॉच सदस्यीय समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न जारी उपाधियों के संबंध में चर्चा की गयी उक्त सन्दर्भ में समिति द्वारा नये सत्र से प्रदान की जाने वाली उपाधियों में संशोधन किये जाने के सन्दर्भ में मा0 सदस्यों से चर्चा एवं अनुमोदन। **(संलग्नक-11)**	**विनिश्चय:—** बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा भारत मूल के छात्रों की उपाधियों में आधार संख्या व फोटों को मुद्रित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	————————
बिंदु संख्या:— 12 विश्वविद्यालय में संचालित तकनीकी पाठयक्रमों में तत्कालीन मा0 कुलपति महोदय द्वारा निर्गत पत्र में पुर्नमूल्यांकन संबधी व्यवस्था की गयी थी। उक्त व्यवस्था को विश्वविद्यालय में यथावत/परिवर्तन करने पर चर्चा एवं अनुमोदन। **(संलग्नक-12)**	**विनिश्चय:—** बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा सम्बन्धित बिन्दु पर विस्तृत चर्चा कर एक सेमेस्टर (स्नातक/स्नातकोत्तर) में मात्र दो पेपरों की उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	————————
बिंदु संख्या:— 13 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठयकमों में **Cyber Security** से सम्बन्धित पाठयक्रम को खुले विकल्प (Open Eelctive) के रूप में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा/अनुमोदन **(संलग्नक-13)** ।	**विनिश्चय:—** विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा जिन संस्थानों में CS/IT/MCA पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहें है उन्हीं संस्थानों में **Cyber Security** से सम्बन्धित पाठयक्रम को खुले विकल्प (Open Eelctive) के रूप में शामिल किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।	**परिषद् द्वारा Cyber Security** से सम्बन्धित पाठयक्रम को संचालित किये जाने पर संस्थान में कार्यरत शिक्षकों को पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी हेतु ट्रैनिंग के लिए भेजे जाने का सुझाव दिया गया।
बिंदु संख्या:— 14 विश्वविद्यालय द्वारा पी0एच0डी0, एम0टैक0 एवं एफ0फार्मा0 की Thesis आदि गुणवत्ता की जॉच के लिए **World Class Anti Plagrism Software Turnitin (a commercial, Internet-based plagiarism-detection service which checks submitted documents against its database and the content of other websites with the aim of identifying plagiarism. Results can identify similarities with existing sources, and can also be used in formative assessment to help students learn to avoid plagiarism and improve their writing)** के सम्बन्ध में तथा नई व्यवस्था लागू होने तक कार्योत्तर अनुमोदन। **(संलग्नक-14)**	**विनिश्चय:—** बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर **World Class Anti Plagrism Software Turnitin** को नई व्यवस्था लागू होने तक उपयोग में लाये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	————————

बिंदु संख्या:–15 उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक संस्थानों की बी0ओ0जी0 से सम्बन्धित प्रकरणों पर चर्चा/अनुमोदन **(सलंग्नक–15)**।	**विनिश्चय:–** उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के संघटक संस्थानों की बी0ओ0जी0 के सम्बन्ध में विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर बी0ओ0जी0 को केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP-III) तक ही सीमित रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।	उक्त बी0ओ0जी0 के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में स्थिति स्पष्ट करने के लिए शैक्षिक परिषद् द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किये जाने का सुझाव दिया गया।
बिंदु संख्या:–16 **Examination reforms** के तहत आगामी सत्र से **UMS (University Management Software)** लागू किये जाने पर चर्चा/अनुमोदन **(सलंग्नक–16)**।	**विनिश्चय:–** बैठक में विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा **Examination reforms** के तहत परीक्षाओं से पूर्व व परीक्षाओं के उपरान्त परीक्षा कार्यों को सम्पादित करने वाली कंपनियों से मैनपॉवर की सेवायें लिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	परिषद् के सदस्यों द्वारा **(University Management Software)** लागू किये जाने पर विश्वविद्यालय को सम्बन्धित **Software** की कार्यप्रणाली का पूर्णतः अध्ययन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।
बिंदु संख्या:–17 विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2016–17 से आयोजित की जा रही ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु कार्योत्तर अनुमोदन।	**विनिश्चय:–** बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।	————————
बिंदु संख्या:–18 राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार (National Academic Depository) के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा/अनुमोदन **(सलंग्नक–17)**।	**विनिश्चय:–** बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर **राष्ट्रीय अकादमिक निक्षेपागार (National Academic Depository)** द्वारा प्रदत्त सेवाओं को उपयोग में लाये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	————————
बिंदु संख्या:–19 Tuition Fee Waiver Scheme/BPL कार्ड धारक परिवारों के छात्रों को पुर्नमूल्यांकन हेतु रू0 5000/– की छूट दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा/अनुमोदन।	**विनिश्चय:–** बैठक में शैक्षिक परिषद् के सदस्यों द्वारा Tuition Fee Waiver Scheme/BPL कार्ड धारक परिवारों के छात्रों से उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन शुल्क के रूप में रू0 1000/– तथा अन्य छात्रों से रू0 3000/– अप्रतिदेय (**Non Refundable**) शुल्क लिये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।	————————

बिंदु संख्याः–20 विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में प्रति Transcript Set (4 Marksheet) रू0 100/–लिया जा रहा है, जिसमें वृद्धि कर प्रति Transcript Set रू0 500/– शुल्क में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा/अनुमोदन।	**विनिश्चयः**– बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन प्रदान किया गया।	————
बिंदु संख्याः–21 विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के परीक्षा फार्म को विश्वविद्यालय में जमा किये जाने में विलम्ब की दशा में 7 दिवस की छूट प्रदान करते हुए विलम्ब शुल्क रू0 100/– प्रतिदिन (प्रति छात्र) लिये जाने हेतु चर्चा/अनुमोदन।	**विनिश्चयः**– बैठक में विद्या परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन प्रदान किया गया।	————

बिंदु संख्याः–22

विश्वविद्यालय के परीक्षा व्ययों/मूल्यांकन व्ययों/बैठकों के मानदेय/यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता/क्रीड़ा संचालन व्ययों/प्रवेश परीक्षा व्ययों आदि के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित दरें तथा परीक्षा संचालन में होने वाले विभिन्न व्ययों का भुगतान केवल राजकीय महाविद्यालयों में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु अनुमन्य किये जाने तथा स्ववित्त पोषित संस्थानों द्वारा व्यक्तिगत परीक्षाएं कराये जाने की दशा में ही परीक्षा व्ययों का भुगतान अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा/अनुमोदन।

विनिश्चयः– बैठक में परिषद् के सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा कर परीक्षा व्ययों, मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि की दरों व अन्य हेतु अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

क्र.स.	कार्य का नाम	मानक	वर्तमान दरें	पुनरीक्षित दरें
1.	विश्वविद्यालय द्वारा नामित उड़नदस्ता सदस्य का पारिश्रमिक विश्वविद्यालय द्वारा नामित उड़नदस्ते का दैनिक भत्ता	प्रत्येक जोन हेतु संयोजक सहित पांच सदस्यों की टीम	₹ 300.00 प्रति पाली (प्रति कॉलेज अधिकतम ₹ 700.00 प्रतिदिन एवं वाहन भत्ता)	₹ 300.00 प्रतिपाली प्रति सदस्य ₹ 250.00 प्रति दिन प्रति सदस्य
2.	केन्द्र अधीक्षक का पारिश्रमिक	सम्पूर्ण परीक्षा हेतु एक	₹ 1200.00 प्रतिदिन एवं अधिकतम ₹ 12000.00	यथावत।
3.	स्हायक केन्द्र अधीक्षक का पारिश्रमिक	–	₹ 1000.00 प्रतिदिन एवं अधिकतम ₹ 10000.00	यथावत।
4.	कक्ष निरीक्षक का पारिश्रमिक	30 छात्रों पर दो कक्ष निरिक्षक	₹ 250.00 प्रतिपाली	यथावत।
5.	प्रायोगिक परीक्षक (परास्नातक का पारिश्रमिक)		₹ 25.00 प्रतिछात्र न्यूनतम ₹ 1000.00 प्रतिविषय	यथावत।
6.	प्रायोगिक परीक्षक (स्नातक का पारिश्रमिक)		₹ 20.00 प्रतिछात्र न्यूनतम ₹ 1000.00 प्रतिविषय	यथावत।
7.	प्रयोगशाला सहायक का पारिश्रमिक		₹ 50.00 प्रतिदिन	यथावत।
8.	प्रयोगशाला अनुचर का पारिश्रमिक		₹ 30.00 प्रतिदिन	यथावत।
9.	नोडल अधिकारी का पारिश्रमिक	सम्पूर्ण परीक्षाफल हेतु एक पर्यवेक्षक	₹ 800 प्रतिदिन अधिकतम ₹ 8000.00	यथावत।
10.	नोडल केन्द्र कर्मचारियों का पारिश्रमिक	250 छात्रों पर 01 चतुर्थ श्रेणी एवं 250 से अधिक छात्र संख्या पर एक अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी यदि अतिरिक्त छात्र संख्या 250 है।	तृतीय श्रेणी ₹ 250.00 प्रतिदिन एवं अधिकतम ₹ 2000.00 चतुर्थ श्रेणी ₹ 150.00 प्रतिदिन अधिकतम ₹ 1500.00 सुरक्षा कर्मी ₹ 100.00 प्रतिदिन	यथावत।

क्र.स.	कार्य का नाम	मानक	वर्तमान दरें	पुनरीक्षित दरें
	... पर प्रकाशन/वितरण पर व्यय			
12.	परीक्षा सम्बन्धी कार्य में लेखा कर्मचारियों		अधिकतम ₹ 1500.00 लेखाकार ₹ 1000.00, सहा0 लेखाकार ₹ 500.00 कुल ₹ 1500.00 अधिकतम	यथावत। यथावत।
13.	संस्था में प्रयोगिक परीक्षा में आकस्मिक व्यय		₹ 500.00 प्रतिविषय	यथावत।
14.	लिखित परीक्षा सामग्री/ आकस्मिक व्यय		₹ 10.00 प्रतिछात्र	यथावत।
15.	प्रश्न पत्र सेटिंग		₹ 1500.00 प्रति प्रश्न पत्र एवं वास्तविक पोस्टेज चार्ज	यथावत।
16.	मॉडरेशन		₹ 1500.00 प्रतिदिन	यथावत।
17.	M.Tech (IV)/M.Phamra(IV)/MCA (VI) Thesis /Disertation /Project/Presentaion and Evaluation		₹ 700.00 प्रति वायवा तथा ₹ 3500.00 अधिकतम	₹ 400.00 प्रति छात्र (न्यूनतम ₹ 2000.00 अधिकतम ₹ 4000.00)
	MBA(IV) Thesis /Disertation /Project/Presentaion and Evaluation			₹ 200.00 प्रति छात्र (न्यूनतम ₹ 2000.00 अधिकतम ₹ 4000.00)
	M.Tech (III) M.Pharma (III)/MBA (II)/(III) Minor Project		—	₹ 100.00 प्रति छात्र (न्यूनतम ₹ 2000.00 अधिकतम ₹ 4000.00)
18.	परीक्षा सम्बन्धी गोपनीय बैठकों का सिटिंग चार्ज		₹ 1500.00 प प्रतिदिन प्रति सदस्य	₹ 2000.00 प्रति बैठक
19.	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन/पुनः मूल्यांकन दर (परास्नातक)		₹ 25.00 प्रति उत्तरपुस्तिका अधिकतम 60 उत्तरपुस्तिका प्रतिदिन	₹ 30.00 प्रति उत्तरपुस्तिका न्यूनतम 40 उत्तरपुस्तिका अधिकतम 60 उत्तरपुस्तिका प्रतिदिन एवं न्यूनतम ₹ 500.00
20.	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन/ पुनः मूल्यांकन दर (स्नातक)		₹ 20.00 प्रति उत्तरपुस्तिका अधिकतम 75 उत्तरपुस्तिका प्रतिदिन	₹ 25.00 प्रति उत्तरपुस्तिका न्यूनतम 40 उत्तरपुस्तिका अधिकतम 60 उत्तरपुस्तिका प्रतिदिन एवं न्यूनतम ₹ 500.00
21.	प्रधान परीक्षक	केवल केन्द्रीय/उप केन्द्र मूल्यांकन हेतु	₹ 3000.00 तथा प्रति विषय/ब्रांच की कुल उत्तरपुस्तिकाओं के 05 प्रतिशत सीमा तक उपर्युक्त दरों पर अधिकतम ₹ 16000.00	₹ 3000.00 तथा प्रति विषय/ब्रांच की कुल उत्तरपुस्तिकाओं के 05 प्रतिशत सीमा तक उपर्युक्त दरों पर अधिकतम ₹ 15000.00
22	उप प्रधान परीक्षक (प्रधान परीक्षक सहित)		₹ 2500.00 तथा प्रति विषय/ब्रांच की कुल उत्तरपुस्तिकाओं के 05 प्रतिशत सीमा तक उपर्युक्त दरों पर अधिकतम ₹ 14000.00	आगामी परीक्षाओ हेतु उक्त मद /व्यवस्था को समाप्त किया जाना है । अतः उक्त मद को शून्य माना जाये।
23.	कोआर्डिनेटर का पारिश्रमिक	सम्पूर्ण मूल्यांकन हेतु 01 कोआर्डिनेटर	0.25 प्रति उत्तरपुस्तिका एवं न्यूनतम ₹ 4000.00 तथा अधिकतम ₹ 15000.00	यथावत।
24.	डिप्टी कोआर्डिनेटर (75000 उ0पु0तक)	35000 उत्तरपुस्तिकाओं पर 01 डिप्टी कोआर्डिनेटर एवं अधिकतम 04 डिप्टी कोआर्डिनेटर सम्पूर्ण मूल्यांकन पर	0.25 प्रति उत्तरपुस्तिका (न्यूनतम ₹ 3000.00 तथा अधिकतम ₹ 10000.00)	यथावत।
25.	मूल्यांकन केन्द्र का लेखाकन कार्य	सम्पूर्ण मूल्यांकन हेतु दो कर्मचारी (वित्त)	लेखाकार ₹ 1500.00 सहा0 लेखाकार ₹ 800.00 कुल ₹ 3000.00 के अनधिक	₹ 4000.00 प्रति कर्मचारी नियत
26.	मूल्यांकन कार्य में लगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक	तृतीय श्रेणी के दो कर्मचारियों हेतु (35000 उ0पु0 तक) चतुर्थ श्रेणी के 04 कर्मचारियों हेतु	₹ 300.00 प्रतिदिन एवं पूर्ण मूल्यांकन अवधि में अधिकतम ₹ 2000.00 ₹ 250.00 प्रतिदिन पूर्ण मूल्यांकन अवधि में अधिकतम ₹ 1500.00	₹ 300.00 प्रतिदिन एवं पूर्ण मूल्यांकन अवधि में अधिकतम ₹ 4000.00 ₹ 250.00 प्रतिदिन पूर्ण मूल्यांकन अवधि में अधिकतम ₹ 3000.00
27.	मूल्यांकनकर्ताओं का दैनिक भत्ता	न्यूनतम 60 उत्तरपुस्तिकाओं पर	₹ 3.00 प्रति उत्तरपुस्तिका तथा प्रति विषय ₹ 1000.00 तक तथा ₹ 250.00 प्रतिदिन लंच दो चाय? स्नैक्स सहित।	₹ 250.00 प्रतिदिन/प्रति मूल्यांकनकर्ता (न्यूनतम 60 उत्तरपुस्तिकाओं पर)

	…/प्रायोगिक परीक्षक के मार्ग व्यय		₹ 10 प्रति कि0मी0 लोकल अधिकतम दूरी 50 कि0मी0	₹ 10.00 प्रति कि0मी0 चार पहिया निजी वाहन हेतु (वाहन की आर0सी0 संलग्न किये जाने पर) एवं ₹ 7.00 प्रति कि0मी0 दो पहिया निजी वाहन हेतु (वाहन की आर0सी0 संलग्न किये जाने पर)
	विश्वविद्यालय कार्यालय से विश्वविद्यालय कार्य हेतु शहर से बाहर जाने वाले विश्वविद्यालय कार्मिकों को मानदेय			₹ 500.00 प्रति दिन प्रति सदस्य
29.	विशेष व्याख्यान आमंत्रण		₹ 2000.00 प्रति विषय	यथावत।
	अति विशेष व्याख्यान			₹ 5000.00 प्रति विषय
30.	साक्षात्कार के चयन समिति के सदस्यों का मानदेय		₹ 2000.00 प्रति विषय प्रति सदस्य एवं अध्यक्ष को ₹ 5000.00 प्रति विषय	₹ 3000.00 प्रति विषय प्रति सदस्य एवं अध्यक्ष को ₹ 5000.00 प्रति विषय
31.	बोर्ड आफ स्टडीज के सदस्यों का मानदेय		₹ 2000.00 प्रति विषय	₹ 3000.00 प्रति विषय
32.	विद्या परिषद्/वित्त समिति/परीक्षा समिति में भाग लेने वाले मा0 सदस्यों को मानदेय का भुगतान		₹ 3000.00 प्रतिदिन	₹ 4000.00 प्रतिदिन
33.	कार्य परिषद में भाग लेने वाले मा0 सदस्यों को मानदेय का भुगतान		₹ 3000.00 प्रतिदिन	₹ 5000.00 प्रतिदिन
34.	परीक्षा विभाग की यू0एफ0एम0, व विश्वविद्यालय द्वारा समय –समय पर आयोजित अन्य बैठक में भाग लेने वाले मा0 सदस्यों को मानदेय का भुगतान			₹ 2000.00 प्रतिदिन

35. परीक्षा कार्यो हेतु विश्वविद्यालय के कार्मिकों को विभिन्न प्रकार के पारिश्रमिक का अनुमोदन

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षायें विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाती है। परीक्षाओं के सम्पादन हेतु परीक्षा आवेदन पत्रों की जांच तथा उसके उपरान्त निर्धारित समयान्तर्गत परीक्षाफल तैयार किये जाते हैं जिसके लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारी कार्यालय समय से पूर्व एवं बाद में तथा अवकाश के दिनों में भी कार्य सम्पादित करते हैं जिसके लिए वर्तमान तक निम्नांकित मदों में उनके नाम के सम्मुख अंकित धनराशि परीक्षा/गोपनीय/अति गोपनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को पारिश्रमिक के रूप में स्वीकृत की जानी है, जिसका कतिपय संशोधन के साथ मा0 परिषद् द्वारा अनुमोदन किया जाना है:-

क्र.स.	अनुभाग	कार्य का नाम	दरें
ए	परीक्षा अनुभाग/वित्त अनुभाग	परीक्षा आवेदन पत्रों की जांच एवं अनुक्रमांक तथा नामांकन संख्या आबंटन हेतु	₹ 5.00 प्रति छात्र
		मूल्यांकन कार्य हेतु	₹ 5.00 प्रति उत्तरपुस्तिका
ब	कुलपति अनुभाग/कुलसचिव अनुभाग/अन्य अनुभाग	परीक्षा कार्यो के लिए कुलपति/कुलसचिव/अन्य अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों को प्रति अनुभाग परीक्षा मानदेय	₹ 05.00 प्रति छात्र
	अधिकारी वर्ग	क्र.स. ए व ब की कुल धनराशि का आबंटन	₹ 12000.00 प्रति व्यक्ति
	तृतीय श्रेणी		₹ 10000.00 प्रति व्यक्ति
	चतुर्थ श्रेणी		₹ 8000.00 प्रति व्यक्ति
	वाहन चालक		₹ 9000.00 प्रति व्यक्ति

36. परीक्षा संचालन हेतु केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, कक्ष निरीक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला अनुचर, केन्द्र व्यय, संस्था में प्रयोगिक परीक्षा में आकस्मिक व्यय, लिखित परीक्षा सामग्री/आकस्मिक व्यय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं परीक्षा संबंधी लेखा कर्मचारीयों को मानदेय केवल राजकीय महाविद्यालयों में संचालित नियमित पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु अनुमन्य किया जायेगा स्वावित्त पोषित संस्थाओं में यह धनराशि संस्थागत परीक्षाओं हेतु अनुमन्य नही होती है, यदि इन संस्थाओं में व्यक्तिगत परीक्षायें करायी जाती है तभी यह धनराशि अनुमन्य होगी।

यू0के0एस0ई0ई0 प्रवेश परीक्षा हेतु मानदेय दरें :—

क0सं0	विवरण	वर्तमान दरें	पुनरीक्षित दरें
01.	विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी	रू0 5000/— प्रतिदिन	रू0 5000/— प्रतिदिन
02.	पर्यवेक्षक	रू0 4000/— प्रतिदिन	रू0 4000/— प्रतिदिन
03.	विश्वविद्यालय वाहन चालक		रू0 3000/— प्रतिदिन
04.	विश्वविद्यालय चतुर्थ श्रेणी	———	रू0 2000/— प्रतिदिन
05.	केन्द्र व्यवस्थापक/परीक्षा कोर्डिनेटर	रू0 4000/— प्रतिदिन	रू0 4000/— प्रतिदिन
06.	सहायक केन्द्र व्यवस्थापक	रू0 3000/— प्रतिदिन	रू0 3000/— प्रतिदिन
07.	कक्ष निरीक्षक	रू0 600/— प्रतिपाली	रू0 600/—प्रतिपाली
08.	लिपिक	रू0 400/ प्रतिपाली	रू0 400/—प्रतिपाली
09.	चतुर्थ श्रेणी	रू0 200/— प्रतिपाली	रू0 200/—प्रतिपाली
10.	परीक्षा में कम्पयूटर	———	रू0 75/— प्रतिछात्र
11.	स्टेशनरी, जलपान आदि	रू0 10/— प्रतिछात्र	रू0 10/— प्रतिछात्र
12.	विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी के ठहरने आदि सम्बन्धित व्यय	———	रू0 1500/— प्रतिदिन
13.	पर्यवेक्षक के ठहरने तथा यात्रा के दौरान भोजन व्यय		रू0 1000/—प्रतिदिन
13.	विश्वविद्यालय वाहनचालक के ठहरने तथा यात्रा के दौरान भोजन व्यय	———	रू0 800/— प्रतिदिन
14.	विश्वविद्यालय चतुर्थ श्रेणी के ठहरने तथा यात्रा के दौरान भोजन व्यय	———	रू0 500/—प्रतिदिन

यू0के0एस0ई0ई0 प्रवेश परीक्षा के दौरान मुख्यालय में तैनात कर्मचारियों हेतु मानदेय दरें :—

क0सं0	मुख्यालय	पारिश्रमिक की धनराशि	पुनरीक्षित दरें
01.	मुख्यालय में तैनात तृतीय श्रेणी कर्मचारी	रू0 2000/— प्रतिदिन	रू0 3000/— प्रतिदिन
02.	मुख्यालय में तैनात वाहन चालक कर्मचारी	—	रू0 2000/— प्रतिदिन
03	मुख्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रू0 1000/— प्रतिदिन	रू0 1500/— प्रतिदिन

यू0के0एस0ई0ई0 कांउसिलिंग में तैनात/कार्यरत्त कर्मचारियों हेतु मानदेय दरें :—

क0सं0	मुख्यालय	पारिश्रमिक की धनराशि	पुनरीक्षित दरें
01.	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (कांउसिलिंग की सम्पूर्ण अवधि हेतु)	रू0 5000/—	रू0 5000/—
02.	वाहन चालक (कांउसिलिंग की सम्पूर्ण अवधि हेतु)	रू0 4000/	रू0 4000/—
03.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कांउसिलिंग की सम्पूर्ण अवधि हेतु)	रू0 3000/—	रू0 3000/—
04.	प्रवेश परीक्षा/कांउसिलिंग मोबाईल हेल्प लाईन नम्बर (प्रवेश परीक्षा/कांउसिलिंग की सम्पूर्ण अवधि हेतु)	———	रू0 5000/— प्रति मोबाईल

स्पोर्टस पुनरीक्षित दरें।

क्र.स.	विवरण	वर्तमान दरें	पुनरीक्षित दरें
1.	कोच (मैच तथा कैम्प)	₹ 1200.00 प्रतिदिन	₹ 1200.00 प्रति दिन
2.	मानदेय/दैनिक भत्ता टीम प्रबन्धक		₹ 1200.00 प्रति दिन
3.	मानदेय/दैनिक भत्ता टीम पर्यवेक्षक	₹ 1000 प्रतिदिन	₹ 1000.00 प्रति दिन
4.	एम्पायर/रेफरी/स्कोरर इत्यादि	₹ 800 प्रतिदिन	₹ 1000.00 प्रति दिन
5.	मैच आफिसयल	₹ 800 प्रतिदिन	₹ 1000.00 प्रति दिन

6.	लाइन मैन, ग्राउण्ड मैन, टाइम किपर, इत्यादि		
7.	डी0ए0 फार प्लेयर (नोर्थजोन)	₹ 250 प्रतिदिन	₹ 400.00 प्रति दिन
8.	लोकल कन्वेंस	₹ 300.00 प्रतिदिन	₹ 500.00 प्रति दिन
9.	टी0ए0 फार प्लेयर	-- ए0सी0 तृतीय	₹ 10.00 प्रति किलोमीटर ए0सी0--3 रेलवे किराया आरक्षण शुल्क/वास्तविक किराया
10.	मेडिकल चार्जेज (इन्टर यूनवर्सिटी/इन्टर जोनल/अन्य प्रतियोगिता)	--	₹ 500.00 प्रति प्लेयर
11.	मानदेय चेयरमैन सलैक्शन कमेटी	₹ 1500.00 प्रतिदिन	₹ 1200.00 प्रति दिन (अधिकतम 05 दिन)
12.	मैम्बर सलैक्शन कमेटी	₹ 1200.00 प्रतिदिन	₹ 1000.00 प्रति दिन (अधिकतम 05 दिन)
13.	आकस्मिक व्यय (नोर्थजोन)	--	₹ 5000.00
14.	आकस्मिक व्यय (आलइण्डिया)	--	₹ 10000.00
15.	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जज/प्रशीक्षक का मानदेय	--	₹ 2000.00 प्रति दिन
16.	नोथजोन/अन्य प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को संबंधित किट	--	ट्रैक सूट/स्पोर्टस कीट/स्टाकिंग (फुटबाल)
17	नोथजोन/अन्य प्रतियोगिताओं में खिलाडियों को संबंधित खेल सामग्री	--	प्रत्येक खेल से संबंधित सामग्री (फुटबाल, बैट इत्यादि।

1. यदि विश्वविद्यालय द्वारा नोर्थजोन/आल इण्डिया/अन्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है तो एसोसियेशन/फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत दरों के अनुसार विश्वविद्यालय भुगतान किया जाना प्रस्तावित है ।

अन्त में मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(डॉ0 अनिता रावत)
कुलसचिव/सदस्य सचिव

(डॉ0 यू0एस0 रावत)
कुलपति/अध्यक्ष